राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर।

क्रमांकः–प.17(3955)/तक/आक्षेवि/रेगु/2017/636 दिनांकः 20 अप्रेल, 2017

मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन (उत्तर),
हनुमानगढ़।

विषयः– इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में दिनांक 21.4.17 प्रातः 6.00 बजे से पीने हेतु पानी चलाये जाने का प्रस्ताव।
संदर्भ :– आपका पत्र कमांक एफ.4/रेगु/14–बी/केम्प–एफजेडआर–3 दिनांक 19.4.17

महोदय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा दिनांक 21.4.2017 से 26.4.2017 प्रातः 6.00 बजे तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 4400 क्यूसेक पानी उपलब्ध के कम में अनिवार्य आवश्यकता की आपूर्ति एवं इंगामुन एवं इंदिरा गांधी फीडर के पौण्डस मेन्टेन करने में प्राप्त प्रस्ताव को मुख्य अभियन्ता, इंगानप, बीकानेर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, इंगानप, जैसलमेर तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर से प्राप्त सहमति के आधार पर निम्नानुसार एतद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है:–

क.सं.	नहरें	मात्रा क्यूसेक में
1.	रावतसर शाखा के माध्यम से पीने का पानी	55
2.	सूरतगढ़ ताप बिजलीघर के लिए	75
3.	साहवा जलोत्थान नहर	62.46
4. I	कंवरसेन जलोत्थान नहर	148
4. II	सूरसागर झील बीकानेर शहर में भण्डारण हेतु	02
5.	पीने का पानी शोभासर जलाशय	76
6.	बरसिंहसर थर्मल प्लांट	25
7.	नागौर लिफ्ट के माध्यम से पीने का पानी	30
8.	मैं. बी.एस. लिग्नाईट पावर प्रो. प्राई. लि. गुड्डा	05
9.	पीने का पानी जोधपुर लिफ्ट कैनाल परियोजना	195
10.	सोलर पावर प्रोजेक्ट मैसर्स गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	1.60
11.	पोकरण फलसूंड पेयजल योजना	30
12.	रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना	25
13.	जैसलमेर शहर के लिए पेयजल	30
14.	जैसलमेर संभाग के ग्रामीण क्षेत्र हेतु पेयजल	70
15.	गिराल परियोजना	24
16.	राजवेस्ट पावर प्रोजेक्ट	40
17.	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना	50
	योग	**944.06**

ta regulatgion

अनिवार्य आवश्यकता की आपूर्ति एवं लौसेज के उपरान्त शेष उपलब्ध पानी को पीने हेतु निम्नानुसार चलाया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित मुख्य अभियन्ता अपने स्तर पर पीने हेतु चलाये जाने वाले पानी का कार्यक्रम नियत कर सकेंगे:–

क. सं.	अवधि	पानी की मात्रा क्यूसेक में
1.	**दिनांक 26.4.17 बुधवार प्रातः 6.00 बजे से 02.5.17 मंगलवार प्रातः 6.00 बजे तक**	
	(i) इंगामु नहर की बुर्जी 620 तक की नहरों के लिए	1400 क्यूसेक
	(ii) इंगामु नहर की बुर्जी 620 से 1254 तक की नहरों के लिए	1000 क्यूसेक
2.	**दिनांक 02.5.17 मंगलवार प्रातः 6.00 बजे से 07.5.17 रविवार प्रातः 6.00 बजे तक**	
	(i) इंगामु नहर की बुर्जी 620 तक की नहरों के लिए	800 क्यूसेक
	(ii) इंगामु नहर की बुर्जी 620 से 1254 तक की नहरों के लिए	400 क्यूसेक
	(iii) इंगामु नहर की बुर्जी 1254 से टेल तक की नहरों के लिए	1200 क्यूसेक

नोट : अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, इंगानप, जैसलमेर के पत्र क्रमांक 381 दिनांक 20.4.17 के क्रम में उक्त अवधि में जैसलमेर संभाग की अनिवार्य आवश्यकता में लौसेज सहित 354 क्यूसेक पानी शामिल है।

1. नहरों के लिए पानी केवल पेयजल हेतु उपलब्ध कराया गया है, सिंचाई हेतु नहीं। संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर इसको सुनिश्चित करेंगे।
2. जन स्वा. अभि. विभाग एवं पंचायती राज विभाग उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल का अपने विभागीय स्रोतों के माध्यम से उपयोग करना सुनिश्चित करें।
3. जारी उक्त कार्यक्रम में संबंधित नहर के अधिशासी अभियन्ता सिंचाई व्यवस्था एवं जिला कलक्टर द्वारा पानी वितरण की प्रभावी मोनेटरिंग हेतु गठित टास्क फोर्स की क्रियान्विति के लिए प्रत्येक समय अपने मोबाईल पर उपलब्ध रहेंगे ताकि जन प्रतिनिधियों व नागरिकों को पेयजल उपलब्धता के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके।
4. अधिशासी अभियन्ता स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाने के संबंध में आदेश क्रमांक प.9( )संआबी/काव्य/रबी फसल/16/613 दिनांक 10.10.16 प्रसारित किये जा चुके हैं, जिसकी पालना करने का उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
5. पानी का उपयोग केवल पेयजल के लिए सुनिश्चित करने के क्रम में जल संसाधन, राजस्व, विकास एवं पुलिस विभाग के कार्मिकों की गश्त कार्यवाही संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में सिंचाई विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

20/4

आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगांनप,
बीकानेर।

क्रमांकः–प.17(3955)/तक/आक्षेवि/रेगु/2017/637-709   दिनांकः 20 अप्रेल, 2017

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राज. जयपुर।
2– प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, सीएडी एवं जल उप0 विभाग, राज, जयपुर।

ta regulatgion

3– अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।

4– संभागीय आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर ।

5– निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन, राज. जयपुर।

6– जिला कलक्टर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।

7– जिला पुलिस अधिक्षक, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।

8– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।

9– मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर।

10– अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर।

11– अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रेगुलेशन, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर।

12– अति0 मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, राजीव गांधी लिफ्ट केनाल एवं जोधपुर शहर, जोधपुर।

13– अति0 मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, बीकानेर।

14– उपखंड अधिकारी, बीकानेर/खाजूवाला/लूनकरणसर/पूगल/छत्तरगढ़/कोलायत/अनूपगढ़/भादरा/चूरू/श्रीगंगानगर/श्रीविजयनगर/घडसाना/सूरतगढ़/हनुमानगढ़/नोहर/पीलीबंगा/रावतसर/सरदारशहर/तारानगर/फलोदी/पोकरण/जैसलमेर।

15– अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत, हनुमानगढ़/विजयनगर/छत्तरगढ।

16– अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, नागौर लिफ्ट परियोजना वृत, नागौर।

17– अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना वृत, बाड़मेर।

18– जिला संपर्क अधिकारी, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।

19– नोडल अधिकारी, सीएडी वेबसाईट, बीकानेर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिकारियों को सीएडी वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करने एवं संबंधित को ई–मेल करना सुनिश्चित करें।

20– निजी सचिव, आयुक्त, सीएडी, बीकानेर।

आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगांनप,
बीकानेर।

ta regulatgion